पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने न्यायालय में अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान की

लखनऊ 16 फरवरी, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य सरकार की संस्तुति पर पूर्व बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे श्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय में अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी 13.05.2007 से 05.10.2011 तक मायावती सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे । सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जाँच में श्री त्रिपाठी की वैध आय के श्रोतों से कुल आय रू0 45,82,215/- थी जिसके सापेक्ष अर्जित की गयी परिसम्पत्तियां एवं व्यय रू0 1,81,20,566/- पाये जाने की पुष्टि उक्त जाँच में हुई थी। इस प्रकार विवेचना में प्रथमदृष्टया वैध आय के सापेक्ष अनानुपातिक परिसम्पत्तियां एवं व्यय रू0 1,35,38,351/- अधिक पाया गया जो वैध आय के सापेक्ष 295 प्रतिशत ज्यादा है ।

अंजुम/ललित/राजभवन(61/20)